न्यायालय :सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल, भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंजना अग्रवाल, RJS

फौजदारी प्रकरण संख्या – 12/2026

सीआईएस नंबर – 43/2026

एफआईआर नंबर – 371/25 मांडल

CNR No. – RJBW170000812026

राज्य

---अभियोगी

– विरूद्ध –

सुशीला पत्नी गणपत कंजर उम्र 44 वर्ष निवासी स्टेशन नगर थाना मांडल जिला भीलवाडा।

----अभियुक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री विशाल क्षौत्रिय, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक–21.04.2026**

घटना की दिनांक	02.12.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02.12.2025
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	17.01.2026
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	17.01.2026
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	17.01.2026
बयान मुल्जिम लिए जाने की दिनांक	21.04.2026
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	21.04.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	21.04.2026
सजा आदेश यदि हो तो	परिवीक्षा का लाभ दिया गया

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हैड कानि. विक्रांत सिंह ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 02.12.2025 को समय 04.43 पी.एम. पर वह मय जाप्ता कानि. जग्गाराम 1713, कानि शैतानराम 241 मय प्राईवेट वाहन मय अनुसंधान बॉक्स मय सामग्री के वास्ते हल्का गश्त, लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु थाने से रवाना हो गश्त माण्डल बाईपास, कंचन पुलिया करता हुआ माण्डल चौराया से पहले पहुंचा कि मुखबीर खास ने सूचना दी कि रीको की तरफ आने वाले रास्ते पर एक महिला जो प्लास्टिक की बोतल में अवैध हाथ कसीद शराब लेकर आ रही है आदि सूचना विश्वसनीय होने से माण्डल पुलिया से रीको की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड से पहले 05.08 पीएम पर पहुंचे की सामने से

मुखबीर खास के बताये हुलिया की एक महिला अपने दाहिने हाथ में दो लीटर की हरे रंग की प्लास्टिक की बोतल जो आधी तरल पदार्थ से भरी हुई लेकर आती हुई नजर आई जो पुलिस जाप्ते को बावर्दी देखकर वापिस घुमकर तेज–तेज चलकर जाने लगी। जिस पर शंका होने से उक्त महिला को आवाज देकर रोकना चाहा उसी वक्त तेज–तेज चलने के दौरान उक्त महिला के हाथ में रखी हुई उक्त दो लीटर की प्लास्टिक की बोतल रास्ते में ही गिर गई देखते ही देखते उक्त महिला झाडियों का फायदा उठाकर ओझल हो गई। उक्त महिला के बारे में हमराही जाप्ते में कानि, शैतान राम 241 ने बताया की यह महिला सुशीला पत्नी गणपत कंजर निवासी स्टेशन नगर थाना माण्डल जिला भीलवाडा होना बताया। जिस पर उक्त महिला के कब्जे में रखी हुई उक्त बोतल का ढक्कन खोल कर देखा तो बोतल में 1 लीटर तरल द्रव्य पदार्थ भरा होना पाया जिससे शराब की बदबू आ रही थी जिसे उपस्थित जाप्ता को दिखाया व सूघांया गया तो सभी ने अपने ज्ञान व अनुभव से बोतल में 1 लीटर हाथ कसीद शराब भरी होना बताया। उक्त दो लीटर की प्लास्टिक की बोतल की जप्ती की कार्यवाही हेतु मौके पर स्वतंत्र मौतबीरान की तलबी की गई परन्तु कोई भी व्यक्ति कानूनी पैचीदगियों के चलते मौतबीर बनने को तैयार नहीं हुए जिस पर हमराही जाप्ता में से कानि जग्गाराम 1713 व कानि शैतानराम 241 को मौतबीन मामूर कर उक्त बोतल में भरी हुई अवैध हाथ कसीद शराब 1 लीटर को ईमरोज समय 05.20 पीएम पर जरिये फर्द जप्त कर जप्तशुदा शराब में से एक कांच के पव्वे में 180 एम एल हाथ कसीद शराब अलग निकाल सैम्पल को सीलचिट बन्द कर मार्क A दिया गया व शेष हाथ कसीद शराब को उसी बोतल में रहने दे कर बोतल को सीलचिट बन्द कर मार्क B अंकित किया धारा 105 बीएनएसएस के प्रावधानों की पालना की जाकर ई–साक्ष्य एप पर विडियोग्राफी की गई। इस प्रकार उक्त अदम गिरफतार अभियुक्ता सुशीला पत्नी गणपत कंजर निवासी स्टेशन नगर थाना माण्डल जिला भीलवाडा के खिलाफ प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 16/54 एक्साईज एक्ट प्रमाणित है बाद फारिक कार्यवाही के रवाना हो वह मय जाप्ता मय प्राईवेट वाहन के उक्त अदम गिरफतार अभियुक्त सुशीला पत्नी गणपत कंजर निवासी स्टेशन नगर थाना माण्डल जिला भीलवाडा की तलाश करता हुआ हाजिर थाना आया.....आदि। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 371/25 पुलिस थाना मांडल में दर्ज किया। बाद आवश्यक अनुसंधान पुलिस थाना मांडल, भीलवाड़ा द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में आरोप पत्र दिनांक 17.01.2026 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियुक्ता के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2– अभियुक्ता के उपस्थित आने पर दिनांक 17.01.2026 को अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्ता ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	मीना कसाना	फर्द गिरफतारी, फर्द मौका तस्दीक
पी.डब्ल्यू. 02	जग्गाराम	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू. 03	मुकेश कुमार	एफएसएल जमा कराने की ताईद
पी.डब्ल्यू. 04	देवेंद्र	फर्द गिरफतारी, फर्द मौका तस्दीक
पी.डब्ल्यू 05	विक्रांत	परिवादी
पी.डब्ल्यू 06	कैलाशचंद्र	अनुसंधान अधिकारी

पी.डब्ल्यू 07	शैतानराम	चश्मदीद गवाह

अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र. सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	चैकलिस्ट
02	प्रदर्श पी 02	फर्द गिरफतारी मुलजिमा सुशीला कंजर
03	प्रदर्श पी 03	फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल
04	प्रदर्श पी 04	फर्द जप्ती
05	प्रदर्श पी 05	नक्शा मौका घटनास्थल
06	प्रदर्श पी 06	अग्रेषण पत्र व प्राप्ति रसीद
07	प्रदर्श पी 07	तहरीरी रिपोर्ट
08	प्रदर्श पी 08	चाक एफआईआर
09	प्रदर्श पी 09	अभियुक्ता की सूचना 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
10	प्रदर्श पी 10	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
11	प्रदर्श पी 11	एफएसएल रिपोर्ट

3– अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 351 बीएनएसएस में किया गया तथा उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा स्वयं को निर्दोष होकर झुठा फंसाया जाने के कथन किये है। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

4– अभियुक्त ने अपीलीय न्यायालय में हाजरी बाबत् धारा 481 बी.एन.एस.एस के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि हेतु 10 हजार रूपये का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाये गये।

5– बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः–

(1) क्या दिनांक 02.12.2025 को समय 05.20 पी.एम. पर कंचन पुलिया से रीको जाने वाले रास्ते से अभियुक्ता सुशीला कंजर के सचेत व संज्ञान कब्जे से अवैध रूप से एक हरे रंग की प्लास्टिक की 02 लीटर की बोतल में करीब 01 लीटर हाथ कसीद शराब बरामद हुई?

(2) यदि हाँ, तो अभियुक्ता किस दण्ड से दण्डनीय होंगी?

उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

6– दौराने बहस अधिवक्ता ने अभियुक्ता ने अभियुक्ता को झूंठा फंसाये जाने का कथन किया एवं बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। मुलजिमा ने कोई अवैध शराब नहीं रखी। प्रकरण के कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रकरण के सभी गवाह पुलिसकर्मी है। अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्ता पर आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्ता को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

7– सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर अधिवक्ता अभियुक्त को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

8– पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कुल 07 गवाहों को परीक्षित कराया गया है, जिनमें गवाह पी.डब्ल्यु 01 मीना कसाना ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि प्रदर्श पी 01 चैकलिस्ट, प्रदर्श पी 02 फर्द गिरफतारी मुलजिमा व प्रदर्श पी 03 फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुलजिमा को उन्होंने थाने से गिरफतार किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 01 व पी 02 पर हस्ताक्षर उसने थाने में किए थे। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 03 पर उसने थाने पर हस्ताक्षर किए हों।

9– गवाह पी.डब्ल्यू 02 जग्गाराम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 02.12.25 को थाना माण्डल पर कॉनि. के पद पद पदस्थापित था। उस दिन एचसी विक्रांत सिंह के साथ वह और कॉनि शैतान राम लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई हेतु मय प्राइवेट वाहन मय अनुसंधान बॉक्स के हल्का गश्त करते हुए माण्डल चौराहा के पास पहुंचे कि मुखबीर खास ने सूचना दी कि रीको एरिया की तरफ से आने वाले कच्चे रास्ते पर एक महिला जो प्लास्टिक की बोतल में अवैध हाथकशीद शराब लेकर आ रही है। सूचना विश्वसनीय होने से माण्डल पुलिया से रीको की तरफ जाने वाले रास्ते पर समय 05.08 पीएम पर पहुंचे तो सामने से एक महिला अपने दाहिने हाथ में 2 लीटर की हरे रंग की प्लास्टिक की बोतल लेकर आती हुई दिखाई दी। जो बावर्दा पुलिस को देखकर घूमकर तेज–तेज जाने लगी। उस महिला के हाथ से पुलिस जाप्ते को देखकर प्लास्टिक की बोतल रास्ते मे ही गिर गई व वह महिला झाड़ियों का फायदा उठाकर ओझल हो गई। उस महिला को जाप्ते में से शैतानराम कॉनि ने सुशीला पत्नी गणपत निवासी स्टेशन नगर थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा के रूप में पहचाना। महिला के कब्जे में रखी बोतल का ढक्कन खोलकर देखा व सूंघा तो उसमें से शराब की बदबू आ रही थी। मौके पर स्वतंत्र गवाह नहीं होने से उसे व शैतान राम को मोतबिर मामूर किया। बोतल में 1 लीटर हाथकसीद शराब भरी हुई थी, जिसमें से 180 एमएल शराब को कांच के पव्वे में निकालकर मार्का ए अंकित कर सीलचिट किया तथा शेष शराब को उसी बोतल में रहने देकर मार्का बी अंकित किया। धारा 105 बीएनएसएस की पालना की गई। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 4 है। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 उसके समक्ष बनाया गया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उन्होंने मौके से शराब को बरामद नहीं किया हो। यह कहना गलत है कि मौके पर नमूना सैंपल नहीं निकाला हो। यह कहना सही है कि वह पहले से अभियुक्ता सुशीला कंजर को नहीं जानता था। यह कहना गलत है कि वह मौके पर उपस्थित नहीं हो। यह कहना सही है कि अभियुक्ता को मौके से गिरफतार नहीं किया गया।

10– गवाह पी.डब्ल्यू 03 मुकेश कुमार ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 08.12.2025 को पुलिस थाना माण्डल के कानि० के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 371/25 धारा 16/54 राज० आबकारी अधिनियम में जप्तशुदा आर्टिकल मालखाना इंचार्ज महावीर प्रसाद हैड कानि0 913 से एक कांच का पव्वा जिस पर मार्क ए अंकित किया हुआ था तथा अग्रेषण पत्र बनवाने के कागजात प्राप्त कर वास्ते अग्रेषण पत्र बनवाने, एफएसएल शाखा एसपी ऑफिस भीलवाड़ा रवाना हुआ। अग्रेषण पत्र व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 6 है। एसपी ऑफिस की एफएसएल शाखा पहुंच एफएसएल लेटर तैयार करवाकर शाम का समय होने से रात्रि विश्राम पुलिस लाईन में किया। उस दौरान एफएसएल अग्रेषण पत्र व नमूना सैंपल उसके पास ही थे। अगली सुबह दिनांक 09.12.2025 को प्रातः रवाना हो एफएसएल शाखा पहुंच नमूना सैंपल व अग्रेषण पत्र एफएसएल शाखा में जमा करवा कर जमा रसीद प्राप्त कर

रवाना हुआ। दिनांक 10.12.2025 को एफएसएल नमूना सैंपल की जमा रसीद की एक प्रति एफएसएल शाखा भीलवाड़ा में जमा करवायी तथा मूल प्रति मय अग्रेषण पत्र मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता गवाह ने कथन किया है कि वह उस दिन सुशीला के अलावा वह दो और अन्य मुकदमों के सैंपल लेकर गया था। घटना के छह दिन बाद वह एफएसएल जमा करवाने गया था। सैंपल प्राप्त होने व जमा कराने के बीच सैंपल लगभग 24 घंटे उसके पास था। यह कहना गलत है कि सैंपल सिलचिट नहीं था।

11– गवाह पी.डब्ल्यू 04 देवेंद्र ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 16.12.2025 को पुलिस थाना माण्डल के कानि० के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 371/25 धारा 16/54 राज० आबकारी अधिनियम में मुल्जिमा सुशीला पत्नी गणपत कंजर को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्र पी2 के उसके समक्ष गिरफ्तार किया था। फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल प्र पी 3 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता गवाह ने कथन किया है कि मुल्जिमा को घटना के कितने दिन बाद गिरफ्तार किया था यह उसे आज याद नहीं है। यह कहना सही है कि मौका तस्दीक बनाते समय वहां स्वतंत्र मौतबिरान नहीं थे। घटनास्थल की मौका तसदीक घटना के 10–12 दिन बाद बनायी थी। कंचन फेक्ट्री घटनास्थल से उतर दिशा की ओर है। यह कहना सही है कि उसके सामने शराब जप्त नहीं की थी।

12– गवाह पी.डब्ल्यू 05 विक्रांत ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 02.12.2025 को थाना माण्डल पर पदस्थापित था। उस दिन वह मय जाप्ता कानि० जगाराम, कानि० शैतान सिंह के साथ मय अनुसंधान बॉक्स लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु थाने से रवाना हुआ। वे थाने से रवाना हो गश्त करते हुए माण्डल बाईपास कंचन पुलिया करते हुए माण्डल चौराहे पहुंचे कि मुखबिर ने उसे इत्तला दी कि रीको की तरफ से आने वाले रास्ते पर एक महिला प्लास्टिक की बोतल में अवैध हाथ कशीद शराब लेकर आ रही है जिस पर 05.08 पीएम पर माण्डल पुलिया से रीको की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड पर पहुंचे। वहां पर एक महिला अपने दाहिने हाथ में दो लीटर की हरे रंग की प्लास्टिक की बोतल जो आधी तरल पदार्थ से भरी हुई थी को लेकर नजर आई। वह महिला जाप्ते को देखकर वापस घूमकर तेज–तेज चलकर जाने लगी। वह महिला झाडियों का फायदा उठाकर ओझल हो गयी परन्तु दो लीटर की प्लास्टिक की बोतल रास्ते में ही गिर गयी। जाप्ते में से शैतान सिंह ने महिला की पहचान बतौर सुशीला पत्नी गणपत कंजर निवासी स्टेशन नगर माण्डल थाना माण्डल जिला भीलवाडा होना बताया। जरीकेन का ढक्कन खोलकर देखा व सूघां तो उसमें एक लीटर हाथकशीद शराब भरी हुई थी। मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह बनने हेतु तैयार नहीं होने से जाप्ते में से कानि० जगाराम व कानि० शैतान सिंह को गवाह मामूर कर एक लीटर भरी हुई प्लास्टिक की बोतल में से एक कांच के पव्वे में 180 एमएल हाथकशीद शराब अलग से निकाल कर सैंपल को सीलचिट कर मार्का ए अकित किया तथा शेष शराब को उसी बोतल में रहने देकर मार्का बी अंकित किया। धारा 105 बीएनएसएस के प्रावधानों की पालना की गयी। वह मय फर्द जप्ती व जप्तशुदा अवैध शराब को लेकर वापस थाने आये। उसके द्वारा प्रकरण की थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गयी जो प्र पी 7 है। चाक एफआईआर प्र पी 8 है। फर्द जप्ती प्र पी 4 है। कैलाश जी ने घटनास्थल का नक्शा मौका उसकी निशादेही से बनाया जो प्र पी 5 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उन्हें मुखबिरी की सूचना मिली थी। मौके पर वे लगभग पांच सवा पांच बजे पहुंच गये थे। कंचन फेक्ट्री मौके से पश्चिम दिशा की ओर है। बोतल हरे रंग की थी किन्तु किस कंपनी की थी इसका उसे आज याद नहीं है। मौके पर शराब को अंदाज से मापा गया था, किसी मापक यंत्र से नहीं मापा था। यह कहना गलत है कि मौके पर शराब को सीलचिट नहीं किया हो। यह कहना सही है कि वह महिला को पहले से नहीं जानता था।

13– गवाह पी.डब्ल्यू 06 कैलाशचंद्र ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 02.12.2025 को थाना माण्डल पर ए०एस०आई० के पद पर पदस्थापित था। उस दिन इंचार्ज थाना श्यामसुन्दर जी द्वारा प्रकरण संख्या 371/25 धारा 16/54 राज० आबकारी अधिनियम का अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया। जिस पर उसने एफआईआर एवं फर्द जप्ती शराब व मुर्तिबशुदा दस्तावेज प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। एफआईआर प्र पी7 है। मौके पर पहुंच घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शामौका बनाया जो प्र पी5 है। प्रार्थी हैड कानि० विक्रांत एवं गवाहान कानि० जगाराम, कानि० शैतान के कथन लेखबद्ध किये गये। अनुसंधान से अभियुक्ता सुशीला पत्नी गणपत कंजर के विरूद्ध धारा 16/54 राज० आबकारी अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाये जाने से अभियुक्त की तलाश कर जरिये चैकलिस्ट के गिरफतार किया गया। फर्द चेकलिस्ट प्र पी1 है। फर्द गिरफतारी प्र पी2 है। उसके द्वारा अभियुक्ता की सूचना 23 (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेखबद्ध की जो प्र पी9 है। फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल प्र पी 3 है। मालखाना रजि० की प्रमाणित प्रति प्र पी 10 है। एफएसएल रिपोर्ट प्र पी 11 है। बाद अनुसंधान मुल्जिमा को पेश न्यायालय किया गया। अनुसंधान से अभियुक्ता सुशीला के खिलाफ 16/54 राज० आबकारी अधिनियम का अपराध प्रमाणित मान आरोप पत्र एसएचओ साहब रोहिताश जी को दिया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसे मुखबीर से कोई सूचना नहीं मिली थी। उसने सभी गवाहों के बयान अलग–अलग लिए थे। घटना के दो दिन बाद घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। यह कहना सही है कि जप्तशुदा माल को उसके सामने जप्त नही किया गया था और ना ही उसके सामने सीलचिट किया गया था। यह उसे आज याद नहीं है कि एफएसएल कब भेजा।

14– गवाह पी.डब्ल्यू 07 शैतानराम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 02.12.2025 को थाना माण्डल पर पदस्थापित था। उस दिन वह, जगाराम, हैड कानि० विक्रांत जी के साथ मय अनुसंधान बॉक्स लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु थाने से रवाना हुआ। वे थाने से रवाना हो गश्त करते हुए माण्डल बाईपास कंचन पुलिया करते हुये माण्डल चौराहे पहुंचे कि मुखबीर ने विक्रांत जी का इत्तला दी कि रीको की तरफ से आने वाले रास्ते पर एक महिला प्लास्टिक की बोतल में अवैध हाथकशीद शराब लेकर आ रही है। विक्रांत जी ने इत्तला से उन्हें अवगत करवाया। जिस पर वे 05.08 पीएम पर माण्डल पुलिया से रीको की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड पर पहुंचे। वहां पर एक महिला अपने दाहिने हाथ में दो लीटर की हरे रंग की प्लास्टिक की बोतल जो आधी तरल पदार्थ से भरी हुई थी को लेकर नजर आई। वह महिला जाप्ते को देखकर वापस घूमकर तेज तेज चलकर जाने लगी। वह महिला झाडियों का फायदा उठाकर ओझल हो गयी परन्तु दो लीटर की प्लास्टिक की बोतल रास्ते में ही गिर गयी। जाप्ते में से उसने महिला की पहचान बतौर सुशीला पत्नी गणपत कंजर निवासी स्टेशन नगर माण्डल थाना माण्डल जिला भीलवाडा होना बताया। जरीकेन का ढक्कन खोलकर देखा व सूघां तो उसमें एक लीटर हाथकशी शराब भरी हुई थी। मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह बनने हेतु तैयार नहीं होने से जाप्ते में से कानि० जगाराम व उसे गवाह मामूर कर एक लीटर भरी हुई प्लास्टिक की बोतल में से एक कांच के पव्वे में 180 एमएल हाथकशीद शराब अलग से निकाल कर सैंपल को सिलचिट कर मार्का ए अंकित किया। फर्द जप्ती प्र पी4 है तथा शेष शराब को उसी बोतल में रहने देकर मार्का बी अंकित किया। कैलाश जी ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र पी 5 बनाया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता गवाह ने कथन किया है कि वे मौके पर करीब 05 बजे पहुंचे थे। यह कहना गलत है कि अभियुक्ता को मौके से गिरफतार किया हो। यह कहना गलत है कि मौके से सैंपल नहीं निकाला हो। यह कहना गलत है कि वह मुलजिमा को पहले से नही जानता था।

15– पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करने से जाहिर है कि गवाह पीडब्ल्यू

05 विक्रांत सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 02.12.2025 को वह थाना मांडल में पदस्थापित था। उस दिन वह मय जाप्ता कानि. जग्गाराम व शैतानसिंह के साथ लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु रवाना हुआ वे गश्त करते हुए मांडल बाईपास कंचन पुलिया करते हुए मांडल चौराहे पहुंचे जहां उन्हें जरिये मुखबीर इत्तिला प्राप्त हुई जिस पर वे मांडल पुलिया से रीको की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड पर पहुंचे, वहां पर एक महिला अपने दाहिने हाथ में दो लीटर की हरे रंग की प्लास्टिक की बोतल जो आधी तरल पदार्थ से भरी हुई थी को लेकर नजर आई। वह महिला जाप्ते को देखकर झाडियों का फायदा उठाकर ओझल हो गई परंतु दो लीटर की प्लास्टिक की बोतल रास्ते में गिर गई। जाप्ते में से शैतानसिंह ने महिला की पहचान बतौर सुशीला पत्नी गणपत कंजर निवासी स्टेशन नगर मांडल थाना मांडल जिला भीलवाडा के रूप में की। जरीकेन का ढक्कन खोलकर देखा व सूघां तो उसमें 01 लीटर हाथकसीद शराब भरी हुई थी। मौके पर स्वतंत्र गवाह नहीं होने से कानि शैतान सिंह व जग्गाराम को गवाह मामूर कर एक लीटर भरी हुई प्लास्टिक की बोतल में से कांच के पव्वे में 180 एम.एल नमूना सैंपल एफएसएल हेतु निकालकर मार्क ए अंकित किया। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि मौके पर शराब को अदांज से मापा गया था किसी मापक यंत्र से नहीं मापा गया था। यह कहना सही है कि वह महिला को पहले से नहीं जानता था। यह कहना गलत है कि मौके पर शराब को सीलचिट नहीं किया हो। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 05 विक्रांत सिंह ने मौके पर एक महिला को प्लास्टिक की बोतल लेते हुए नजर आने, महिला का जाप्ते को देखकर भाग जाने, शैतान सिंह के द्वारा उस महिला की पहचान बतौर सुशीला पत्नी गणपत कंजर के रूप में करने एवं मौके से एक लीटर हाथ कशीद शराब बरामद करने व नमूना सैंपल निकालने के कथन किए हैं। गवाह पीडब्ल्यू 02 जग्गाराम ने भी न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में उसका व शैतानसिंह का विक्रांत सिंह के साथ गश्त करने हेतु जाने, मांडल पुलिया से रीको की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक महिला का हाथकशीद शराब लेकर नजर आने जिसका जाप्ते को देखकर झाडियों में ओझल हो जाने, प्लास्टिक की बोतल का रास्ते में ही गिर जाने, शैतान सिंह के द्वारा उस महिला की पहचान सुशीला पत्नी गणपत कंजर निवासी स्टेशन नगर थाना मांडल, जिला भीलवाडा के रूप में करने एवं बोतल में एक लीटर हाथकशीद शराब बरामद होने का कथन किया है। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 05 विक्रांत सिंह व पीडब्ल्यू 02 जग्गाराम ने मौके पर एक महिला का प्लास्टिक की बोतल लेते हुए नजर आने, जिसका जाप्ते को देखकर झाडियों में ओझल हो जाने, प्लास्टिक की बोतल का रास्ते में गिर जाने एवं शैतानसिंह के द्वारा उस महिला की पहचान सुशीला पत्नी गणपत कंजर के रूप में होने का कथन किया है। इस संदर्भ में गवाह पीडब्ल्यू 07 शैतानराम के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 07 शैतानराम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में उसका व जग्गाराम का विक्रांत जी के साथ लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु जाने, मांडल पुलिया से रीको की तरफ जाने वाले रास्ते के मोड पर एक महिला का दो लीटर की प्लास्टिक की बोतल के साथ नजर आने जिसका जाप्ते को देखकर झाडियों में ओझल हो जाने परंतु दो लीटर की बोतल का रास्ते में ही गिर जाने, उसके द्वारा उस महिला की पहचान बतौर सुशीला पत्नी गणपत कंजर निवासी स्टेशन नगर मांडल थाना मांडल जिला भीलवाडा के रूप में करने एवं मौके पर नमूना सैंपल लिए जाने का कथन किया है। उक्त सभी गवाहों से अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा विस्तृत जिरह की गई है, परन्तु जिरह में गवाहान की मुख्य परीक्षा में अभियुक्ता सुशीला के कब्जे से 01 लीटर हाथकशीद शराब बरामद होने बाबत् दी गई साक्ष्य खण्डित नहीं हुई है।

16– बाद अनुसंधान अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने पर उसके संबंध मे आरोप पत्र गवाह पीडब्ल्यू 06 कैलाशचंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में फर्द जप्ती प्रदर्श पी –04 के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्ता के कब्जे से एक लीटर हाथकशीद शराब बरामद कर एक खाली पव्वा में सैंपल निकालकर नमूना सैंपल को सीलचिट किया गया। जब्तशुदा सैम्पल को

जमा मालखाना कराया गया। गवाह पीडब्ल्यू 03 मुकेश कुमार ने सीलचीट सैम्पल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जाने का कथन किया है। प्रदर्श पी–06 प्राप्ति रसीद में भी रासायनिक जांच हेतु सैम्पल सीलचीट अवस्था में प्राप्त होने का अंकन है। प्रदर्श पी 11 विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी यह तथ्य स्पष्ट आया है कि मुकेश कुमार के द्वारा मोहरबंद विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराया गया। इस प्रकार इस स्तर पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्ता सुशीला के कब्जे हाथकशीद शराब बरामद होने से लेकर एफ.एस.एल. में जमा कराये जाने तक सैम्पल शील्ड सुरक्षित हालत में था।

17– विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त रिपोर्ट धारा 329 (4) (ड.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानानुसार सहायक निर्देशक (रसायन) द्वारा किये जाने से बिना औपचारिक साक्ष्य के ग्राहय योग्य है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक नमूना सैम्पल मार्क A का परीक्षण करने पर उसमें 75.66 under proof ethyl alcohol पाया गया।

18– अधिवक्ता अभियुक्ता का तर्क रहा है कि प्रकरण के सभी गवाहान पुलिसकर्मी है। प्रकरण में सभी गवाहान पुलिसकर्मी है, कोई स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं हुआ हैं। न्यायालय के मत में मात्र इस तथ्य को आधार मानकर इन सभी पुलिसकर्मी गवाहान के कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह करना किसी भी रुप में न्यायसंगत, न्ययोचित नहीं कहा जा सकता। यह तथ्य विधिक रुप से स्थापित है कि किसी भी गवाह की साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अविश्वसनीय, असत्य नहीं माना जा सकता कि वे सभी गवाहान पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, जब तक कि गवाहान के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास व असंगति जिरह में स्पष्ट नहीं हो। इस प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा सभी गवाहान से विस्तृत जिरह की गयी, परन्तु जिरह में गवाहान के कथनों में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं आया, जिससे कि गवाहान के कथनों की विश्वसनीयता संदेहास्पद प्रतीत हो, इसलिए अधिवक्ता अभियुक्ता का उक्त तर्क पोषणीय प्रतीत नहीं होता तथा पत्रावली व बहस के तर्कों से यह कहीं भी प्रकट नहीं है कि अभियुक्ता की पुलिसकर्मियों से कोई व्यक्तिगत रंजिश रही हो तथा वे उसे आरोपित अपराध में झुठा संलिप्त कर रहे हो। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्ता का उक्त तर्क अभियुक्ता की कोई सहायता नहीं करता है।

19– अतः उपरोस्त समस्त विवेचन व निष्कर्ष के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि दिनांक 02.12.2025 को समय 05.20 पी.एम. पर कंचन पुलिया से रीको जाने वाले रास्ते से अभियुक्ता सुशीला कंजर के सचेत व संज्ञान कब्जे से अवैध रूप से एक हरे रंग की प्लास्टिक की 02 लीटर की बोतल में करीब 01 लीटर हाथ कसीद शराब बरामद हुई।

:: <u>आदेश</u> ::

20– अतः अभियुक्ता सुशीला पत्नी गणपत कंजर उम्र 44 वर्ष निवासी स्टेशन नगर थाना मांडल जिला भीलवाडा को अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा (राज.)

:: <u>सजा के प्रश्न पर</u> ::

21– सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता का तर्क है कि अभियुक्ता का यह प्रथम अपराध है, उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि पत्रावली पर साबित नहीं है। घटना वर्ष 2026

की होकर अभियुक्ता करीब 01 वर्ष से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रही है। अतः अभियुक्ता को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

22– सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्ता ने स्वयं का पूर्व में दोषसिद्ध नहीं किये जाने व परिवीक्षा लाभ नहीं लिये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्ता को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

:: <u>दण्डादेश</u> ::

23– परिणामतः सुशीला पत्नी गणपत कंजर उम्र 44 वर्ष निवासी स्टेशन नगर थाना मांडल जिला भीलवाडा राजस्थान को राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुये उक्त अपराध के लिए अभियुक्ता को तत्काल ही किसी कारावास की सजा से दण्डित करने की बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि अभियुक्ता 10,000/–रुपये की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का बन्ध पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें कि वह दौराने अवधि शांति एवं सदाचार बनाये रखेगी, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी तथा बन्ध पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने व न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित होगी तो अभियुक्ता को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जावें। साथ ही अभियुक्ता परिवीक्षा अधिनियम की धारा–5 के तहत 400/–रुपये (अक्षरे चार सौ रुपये) जमा करवायेगी।

24– अभियुक्ता द्वारा पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

25– हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा शराब का यदि निस्तारण नहीं हुआ है तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित की जावें।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा (राज.)

26– निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा (राज.)